GOVERNMENT OF RAJASTHAN TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, February**20**, 2020

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/2 dated 10.07.2019, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (1) in column number 3 against serial number 11 of table,-
 - (i) against item (i) of column 2, for the existing entry "8.5% of the cost of the chassis", the entry "10% of the cost of the chassis" shall be substituted; and
 - (ii) against item (ii) of column 2, for the existing entry "7% of the cost of the vehicle", the entry "8% of the cost of the vehicle" shall be substituted; and
- (2) in clause (vi) of the proviso, for the existing expression "one tenth", the expression "one fourth" shall be substituted.

[No.F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2020-21/2B] By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, फरवरी 20, 2020

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/2 दिनांक 10.07.2019 में इसके द्वारा निम्निलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (1) सारणी के क्रम संख्यांक 11 के सामने, स्तम्भ 3 में,-
 - (i) स्तम्भ 2 की मद (i) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "चेसिस की लागत का 8.5 प्रतिशत" के स्थान पर प्रविष्टि "चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) स्तम्भ 2 की मद (ii) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "यान की लागत का 7 प्रतिशत" के स्थान पर प्रविष्टि "यान की लागत का 8 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (2) परन्तुक के खण्ड (Vi) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1/10" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1/4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2020-21/2बी]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची) संयुक्त शासन सचिव